

अनुमति वाद संख्या :- 330/20-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सलोमी हेमरोम
देवदत्त हेमरोम

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
15.09.21	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदिका सलोमी हेमरोम पिता स्व० जोहन हेमरोम ग्राम-बरकुली, पो०-रायसेमला, थाना-तोरपा, जिला खूटी ने देवदत्त हेमरोम पिता स्व० जोहन हेमरोम ग्राम-बरकुली, पो०-रायसेमला, थाना-तोरपा, जिला खूटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="260 678 1355 763"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>तोरपा</td> <td>53</td> <td>94</td> <td>1193</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 014201 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 484 दिनांक 18.08.21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं० 1026/2116 दिनांक 22.06.1995 से क्रय की गयी है। पंजी II के अनुसार सलोमी हेमरोम के नाम भूमि का रकबा 14.71 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.75 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 75241.00 (पछहत्तर हजार दो सौ एकतालीस) रू० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 3.65 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सलोमी हेमरोम पिता स्व० जोहन हेमरोम को देवदत्त हेमरोम पिता स्व० जोहन हेमरोम के साथ ग्राम तोरपा के खाता सं० 94 खेसरा संख्या 1193 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 75241.00 (पछहत्तर हजार दो सौ एकतालीस) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूटी।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	तोरपा	53	94	1193	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
तोरपा	53	94	1193	0.10								